"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2007—कार्तिक 25, शक 1929

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक 4-9/2007/23/वियो.—जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 1969) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2), धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 219/2001/यो. आ. सा./23/2001, दिनांक 02 मई, 2001 तथा तत्संबंधी पूर्व अन्य समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार, उप मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार नियुक्त करती है जो 01 जनवरी, 2008 से प्रभावशील होगा, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	उप संचालक (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी.	उप मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
3.	कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला पंजीयक	उनके राजस्व जिले
5.	नगर पालिका निगम का आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी या निगम द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका निगम की सीमा के भीतर.
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य अधिकारी.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की सीमा के भीतर.
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके जनपद पंचायत के भीतर
8.	पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी	उप-रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके ग्राम पंचायत के भीतर.

Raipur, the 8th November 2007

NOTIFICATION

No. 4-9/2007/23/F&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of the section 4, sub-section (1) of section 6 and sub-section (1) of section 7 of the Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in supersession of this department's notification No. 219/2001/PES/2001, dated 2nd May, 2001 and corresponding all other previous notification, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as a Chief Registrar, Deputy Chief Registrar, Additional Chief Registrar, District Registear, Registrar and sub-Registrar respectively as specified in column No. (3) within the Jurisdiction as specified in column No. (4) of the Table given below for the purposes of the said Act, with effect from 1st January 2008, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Director of Economics and Statistics	Chief Registrar Births and Deaths	Whole State of Chhattisgarh
2.	Deputy Director (vital statistics) Economics and Statistics.	Deputy Chief Registrar Births and Deaths.	Whole State of Chhattisgarh
3.	Collector	Additional Chief Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District
4.	District Planning and Statistics Officer.	District Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District
5.	Chief Commissioner/Health Officer of Municipal Corporation or any other Officer nominated by corporation.	Registrar Births and Deaths	Within their limits of Municipal Corporation.
6.	Chief Municipal Officers or other Officers nominated by the Municipal Council/Nagar Panchayat.	Registrar Births and Deaths	Within their Municipal Council/Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Chief Executive Officer Janpad Panchayat.	Registrar Births and Deaths	Within their Janpad Panchayat.
8.	Panchayat Sachiv/Panchayat Karmi.	Sub-Registrar Births and Deaths	Within their Gram Panchayat

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर स_ति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम; (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2010 द्वारा श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009:परिवीक्षाधीन) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में जिला प्रशिक्षण के लिये सहायक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश के आंशिक संशोधन करते हुए श्री सौरभ कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 576/485/2010/1-8/स्था.—श्री बी.एल.सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-4-2010 से 14-5-2010 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 578/475/2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 31-5-2010 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 580/515/2010/1-8/स्था.—श्री एम. डी. दीवान, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 14-6-2010 से 18-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 12, 13, 19 एवं 20-6-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. दीवान को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 582/465/2010/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम, सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 26-5-2010 से 5-6-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते.

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक एफ 4-6/2010/23/वि.यो.आ.सां.सं.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 30 (2) (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक 87/2002/23/यो.आ.सां. दिनांक 25 जनवरी, 2002 में विहित प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) एवं प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण-पत्र) के हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के अलग-अलग प्रारूपों के स्थान पर एतद्द्वारा द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) और प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण-पत्र) संलग्न प्रपत्रानुसार प्रतिस्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

सं. . . . .
No. . . . .

Form - 5

छत्तीसगढ़ शासन
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
(DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS)
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) . . . . तहसील . . . . जिला . . . . राज्य . . . . के रजिस्टर में उल्लेखित है.

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (Local area/local body) . . . . of Tehsil/Block . . . . of District . . . . of State/Union territory . . . .

नाम/Name . . . . लिंग/Sex . . . .
जन्म तिथि/Date of Birth. . . . . जन्म स्थान/Place of Birth. . . . .
माता का नाम/Name of Mother . . . .
पिता का नाम/Name of Father. . . . .

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/
Address of parents at the time of birth of the child:
. . . .
. . . .
. . . .

माता पिता का स्थायी पता/
Permanent address of parents:
. . . .
. . . .
. . . .

पंजीकरण संख्या/Registration No. . . . .
पंजीकरण दिनांक/Date of Registration. . . . .
टिप्पणी/Remarks (if any). . . . .
जारी करने की तिथि/Date of issue. . . . .

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें.

सं. . . . .
No. . . . .

Form - 6

छत्तीसगढ़ शासन
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
(DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS)
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) . . . . तहसील . . . . जिला . . . . राज्य . . . . के रजिस्टर में उल्लेखित है.

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (Local area/local body) . . . . of Tehsil/Block . . . . of District . . . . of State/Union territory . . . .

नाम/Name . . . . लिंग/Sex . . . .
मृत्यु तिथि/Date of death. . . . . मृत्यु स्थान/Place of death. . . . .
माता का नाम/Name of Mother . . . .
पिता/पति का नाम/Name of Father/Husband. . . . .

मृतक का मृत्यु के समय का पता/
Address of deceased at the time of death:
. . . .
. . . .

मृतक का स्थायी पता/
Permanent address of the deceased:
. . . .
. . . .

पंजीकरण संख्या/Registration No. . . . .
पंजीकरण दिनांक/Date of Registration. . . . .
टिप्पणी/Remarks (if any). . . . .
जारी करने की तिथि/Date of issue. . . . .

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें.

"पोस्ट बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011—भाद्र 25, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक. (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक ई-01-12/2010/एक/2.—श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979), को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977), अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 (1) के तहत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II में से सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/विधि, दिनांक 8 नवम्बर 2007 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
3.	संयुक्त संचालक, (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
4.	सहायक संचालक, (जीवनांक) आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
5.	राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये उनके अधीनस्थ चिकित्सालय.

No. F 4-47/ 11/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (4) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P dated 8th November 2007, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as Divisional Chief Registrar, Assistant Additional Chief Registrar, Joint Chief Registrar, Assistant Chief Registrar and Registrar respectively as specified in the column No. (3) within the jurisdiction as specified in the column No. (4) of the Table given below to strengthen the Civil Registration System. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1	Divisional Commissioner	Divisional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue Division.
2.	Chief Executive Officer District Panchayat.	Assistant Additional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue District
3.	Joint Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Joint Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
4.	Assistant Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Assistant Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
5.	Officers in charge of all Government Hospitals in the state having 30 or more beds.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and still Births.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा ग्राम कोटवारों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिये, आगामी आदेश तक सूचनादाता नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act, 1960 (No. 18 of 1969), the State Government, heerby appoints the Anganbadi Workers, Anganbadi Assistants and Gram Kotwars of Rural area as notifier till the next order, within the limits of their working area for the registration of births and deaths occurred in home. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-4/2009/11/(6).--चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है. अतः एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8 (1) ख एवं टीप " में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. अर्थात :--

संशोधन

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क की उप कंडिका (1) ख एवं टीप :-- उल्लेखित शब्द 20% को पुनरीक्षित करते हुये 10% किया जाता है.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).--इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3224 को दिनांक 23-06-2011 से दिनांक 30-11-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :--

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर को सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जायेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2014—भाद्र 25, शक 1936

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. —- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/ वियो. दिनांक 8 नवम्बर, 2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2011/23, दिनांक 05 जुलाई, 2011 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) नियुक्त करती है, ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के तिथि से प्रभावी होंगी.

सारिणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	क्षेत्र (3)
1.	समस्त शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.
2	समस्त शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.
3.	केन्द्र-राज्य के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अस्पताल के प्रभारी अधिकारी.	उनके चिकित्सालय में घटित संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P, dated 8th November, 2007 and Notification No. 4-4/2011/23, dated 5th July, 2011, the State Government, hereby, appoints officers as specified in column (2) of the Table below as Registrar (Births and Deaths), for the area as specified in column (3) of the said table in order to strengthen the Civil Registration System. These appointments shall take effect from the date of issuance of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)
1.	Officer in-charge of all Government Community Health Center.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.
2.	Officer in-charge of all Government Primary Health Center.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.
3.	Officer in-charge of all Central-State Public Sector Unit Hospitals.	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and Still Births.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASISH DAS, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. —— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/वियो, दिनांक 8 नवम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

1. सारणी के सरल क्रमांक 7 के कॉलम 3 में, शब्द "रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" के स्थान पर, शब्द "अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. सारणी के सरल क्रमांक 8 के कॉलम 3 में, शब्द "उप-रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु" के स्थान पर, शब्द "रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by (1) & (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P, dated 8th November, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

1. In column (3) of serial number 7 of table, for the words "Registrar Births and Deaths", the words "Additional District Registrar, Births and Deaths" shall be substituted.

2. In column (3) of serial number 8 of table, for the words "Sub-Registrar Births and Deaths", the words "Registrar, Births and Deaths" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 5 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) जन्म, दत्तक बच्चे, मृत्यु तथा मृत-जन्म के रजिस्ट्रेशन के लिये, यथास्थिति, धारा 8, 9 एवं 10 के अधीन रजिस्ट्रार को दिये जाने के लिये अपेक्षित जानकारी, क्रमश: प्ररूप 1, 2 एवं 3, (जिसे इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्ररूप में कहा जायेगा) में होगी :

परन्तु यह कि सूचना यदि मौखिक रूप से दी जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त रिपोर्ट प्ररूपों में प्रविष्ट की जायेगी और वह सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आदि प्राप्त करेगा.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (1) of rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"(1) For the registration of birth, adopted child, death and still birth, requisite information to be given to the Registrar under Section 8, 9 and 10, as the case may be, shall be in a Form-1, 2 and 3 respectively (hereinafter to be collectively called the reporting Forms) :

Provided that information if given orally shall be entered by the Registrar in the appropriate reporting Forms and he shall obtain Signature/thumb impression of the informant."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 13 की उप-धारा (2) सहपठित छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 9 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जन्म-मृत्यु का, उसके घटित होने के तीस दिवस के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, विलंबित पंजीयन हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए. एन. एम./ एम. पी. डब्ल्यू. को, उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर, लिखित अनुज्ञा देने के लिए, प्राधिकृत करती है. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. F 4-4/2011/23/F&P. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), read with sub-rule (2) of rule 9 of the Chhattisgarh Registration of Births and Deaths Rules, 2001, for the production of affidavit of the delayed registration of the Births-Deaths after thirty days but within one year of its occurrence, the State Government, hereby, authorize the Head Master of Government Middle School/Principal of Government High/Higher Secondary School/Aanganwadi worker/ A. N.M./M. P. W. within the limits of their working area to give written permission. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-4/2011/23/वि.यो.— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय स्कूलों के प्रधान पाठक/ प्राचार्य, महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन. एम. एवं एम. पी. डब्ल्यू.), प्रशिक्षित दाई एवं मितानीन को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर, घर में हुए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए, आगामी आदेश तक, अधिसूचक नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23/F&P.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act,1969 (No. 18 of 1969), the State Government, hereby, appoints the Headmaster/ Principals of Government School, Male and Female Health Workers (A.N.M. and M.P.W.) Trained Dias and Mitaneen as notifier, till further order, within the limit of their working area of the Registration of Births and Deaths occurred in home. These appointments shall take effect from the date of issuance of this Order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.